संपादकीय

नशे का नश्तर

हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन नशे के मुद्दे पर हुए हंगामे से एक बात तो तय है कि हरियाणा में भी नशे का नश्तर घातक होता जा रहा है। कांग्रेस, इनेलो व जजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार की जोरदार ढंग से घेराबंदी की। एक गिरफ्तार नशा तस्कर के साथ भाजपा नेताओं की फोटो सदन में दिखायी गई तो भाजपा ने एक कांग्रेस विधायक पर नशा तस्करों को संरक्षण देने की बात दोहराई। यह चिंता की बात है कि नेताओं पर नशा तस्करों को संरक्षण देने के कथित आरोप भी लगाये गये।

निस्संदेह विरोध के राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं, मगर सरकार को वस्तुस्थिति को स्पष्ट करके वास्तविकता से राज्य की जनता को अवगत कराना चाहिए। युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करता नशा सरकार और समाज की गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। यह गंभीर मामला है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर नशे के अवैध कारोबारियों को संरक्षण देने के आरोप सरेआम लगाये हैं। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किये गये हैं। राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह बात परेशान करने वाली है कि जिन लोगों पर नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी थी, वे ही खतरनाक धंधे को प्रश्रय देने में लगे हैं। यानी कि बाड़ ही खेत को खाने लगी है।

यह अच्छी बात है कि कुछ अपवादों को छोड़कर सदन इस गंभीर चुनौती को लेकर चिंतित नजर आया। कांग्रेस के एक दर्जन और एक इनेलो विधायक द्वारा लाये गये ध्यानार्षण प्रस्ताव पर सदन में गंभीर बहस भी हुई। वहीं सरकार का यह आश्वासन भी उम्मीद जगाने वाला है कि कितना भी प्रभावशाली राजनेता क्यों न हो, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगी। यह भी कि सरकार नशे के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिये हरियाणा स्टेट नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाने की कवायद में जुटी है, जिसकी कमान एडीजीपी स्तर के अधिकारी के हाथ में रहेगी।

निस्संदेह, पंजाब के साथ ही हरियाणा की नई पीढ़ी का भी नशे की दलदल में धंसना चिंता की बात है। यह आशंका तो पहले से ही थी कि पंजाब के रास्ते नशे के कारोबार का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है, उसकी चपेट में हरियाणा भी आ सकता है। जाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं शासन-प्रशासन की उदासीनता तथा पुलिस के आक्रामक अभियानों की कमी के चलते राज्य में नशा तस्करों के हौसले बढ़े हैं जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। यह दुखद ही है कि इस चुनौती से मुकाबले के लिए जिस तरह व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत थी, वैसी अब तक नहीं बन पायी है।

किसी भी समाज में युवा पीढ़ी का नशे की दलदल में में फंसना शुभ संकेत नहीं है। नशे का अपराध से सीधा रिश्ता है। आधे-अधूरे प्रयासों से जो लड़ाई नशे के कारोबार के विरुद्ध लड़ने की बात कही जा रही है, उसकी सफलता कई मायनों में संदिग्ध नजर आ रही है।

माना जा सकता है कि सत्ता पक्ष के कतिपय राजनेताओं पर नशा तस्करों को संरक्षण देने के आरोप महज विरोध के लिये विरोध अभियान के तहत लगाये जा रहे हों, मगर यह स्वीकारना चाहिए कि गंभीर चुनौतियों का मुकाबला सभी राजनीतिक दलों के साझे प्रयासों से ही संभव है। इसमें न केवल राज्य के पुलिस-प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल हो, बल्कि नशे के खिलाफ राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाना भी बेहद जरूरी है। जरूरत इस बात की है कि राज्य की सीमाओं से लगे राज्यों के पुलिस-प्रशासन से तालमेल स्थापित करके नशीले पदार्थों की आपूर्ति बाधित की जा सकती है। यह एक बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है और सभी राज्यों को केंद्र के सहयोग से नशा तस्करों पर शिकंजा कसने की जरूरत है। सेना और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की बड़ी संख्या में भागीदारी के मद्देनजर सजगता व सतर्कता जरूरी है। युवाओं को भटकाव के संजाल से वापस खींच लाना हर सरकार व समाज का पहला दायित्व है।

सद्विचारों से अमरत्व

एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, 'महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं, बीज बोकर, हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूं और तब उसे ग्रहण करता हूं। किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न हों। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए।' बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, 'भले व्यक्ति, तुम्हें अमरत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे' किसान हैरानी से बोला, 'प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं भला मन में बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं।' बुद्ध बोले, 'बिल्कुल हो सकते हैं और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे।' किसान ने कहा, 'प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं' बुद्ध बोले, 'तुम मन में विश्वास के बीज बोओ, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमरत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दु:ख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा।' बुद्ध से अमरत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गयीं। वह समझ गया कि अमरत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

प्रस्तुति : रेनू शर्मा

पर्यावरण से सामंजस्य बनाकर हो विकास

भरत झुनझुनवाला

विश्व के बीस अधिकतम वायु प्रदूषित शहरों में से चौदह भारत में हैं। यह हमारे लिए शर्मनाक ही नहीं अपितु हमारे आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक हानिप्रद है। इस प्रदूषण से हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उनकी आय नए माल के उत्पादन में निवेश करने के स्थान पर अस्पतालों में व्यय हो रही है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण न करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण का बोझ न पड़े, उनके माल के उत्पादन की लागत कम आये, देश का आर्थिक विकास हो, जिससे कि जनता के जीवनस्तर में सुधार हो। लेकिन इस प्रक्रिया में बढ़े वायु प्रदूषण से जनता का स्वास्थ्य और जीवनस्तर गिर रहा है। अत: वायु प्रदूषण बढ़ाकर जनहित हासिल करने के स्थान पर हमें वायु प्रदूषण नियंत्रित करके जनता के जीवनस्तर में सुधार लाने के प्रयास करने होंगे।

वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत उद्योग हैं, जिसमें थर्मल बिजली प्लांट सम्मिलित हैं। थर्मल बिजली प्लांटों द्वारा भारी मात्रा में कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन का उत्सर्जन किया जाता है जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। इस प्रदूषण को नियंत्रित करने का सीधा उपाय है कि उद्योगों द्वारा उत्सर्जित वायु के मानकों को कड़ा कर दिया जाए। जब इनके द्वारा साफ वायु छोड़ी जाएगी तो प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन सरकार ने हाल में इसके विपरीत कदम उठाये हैं। सरकार ने इनके मानकों को ढीला कर दिया है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। इन मानकों को और कड़ा कर के वायु प्रदूषण रोकना चाहिए और इनके अनुपालन से जो उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ती है, उसे उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था को वहन करना चाहिए। जैसे आर्गेनिक फल-सब्जी का उपभोक्ता पर आर्थिक भार पड़ता है लेकिन स्वास्थ्य सुधरता है और जीवनस्तर में सुधार होता है।

सरकार का कहना है कि थर्मल के स्थान पर बिजली के दूसरे स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है जैसे जल विद्युत को। कोयले को जलाने से वायु प्रदूषित होती है, यह तो सर्वविदित है और इसके विकल्प हमें खोजने ही चाहिए। लेकिन जलविद्युत के सम्बन्ध में भ्रम व्याप्त हैं। मूल रूप से जलविद्युत साफ़ नहीं होती। जलविद्युत परियोजनाओं के पीछे बड़ा तालाब बनता है, जिसके अन्दर मरे हुए पशु और पेड़-पत्तियां नीचे बैठकर सड़ते हैं। इनके सड़ने से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायु को २० गुणा ज्यादा प्रदूषित करती है। लेकिन इस प्रदूषण का संज्ञान हमारी सरकार, विशेषत: पर्यावरण मंत्रालय लेता ही नहीं है। हमें कोयले और जलविद्युत को छोड़कर परमाणु और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की तरफ बढ़ना चाहिए।

परमाणु ऊर्जा में समस्या रेडियोधर्मिता और पानी की खपत की है। यदि इन संयंत्रों को रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित किया जाए और इनमें पानी की खपत को कम किया जाए तो परमाणु ऊर्जा हमारे लिए उपयुक्त हो सकती है। इन संयंत्रों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए कि वे गर्म पानी को नदी में न छोड़ें बल्कि उसका तब तक उपयोग करते रहें जब तक वह समाप्त न हो जाये। ऐसा करने से इनकी पानी की खपत कम हो जाएगी। सौर ऊर्जा पर्यावरण के प्रति नरम है और इसके विस्तार के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है जो कि सही दिशा में है और जिसके लिए सरकार को साधुवाद। अत: उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने के लिए दो कदम उठाने चाहिए। पहला यह कि उत्सर्जित वायु के मानकों को सख्त किया जाए और दूसरा कोयला और जलविद्युत का त्याग कर हम परमाणु और सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ें।

वायु प्रदूषण का दूसरा कारण यातायात है। अपने देश में निजी कारों का उपयोग भारी मात्रा में बढ़ रहा है। इस प्रदूषण को कम करने के लिए तीन कदम उठाये जा सकते हैं। पहला यह कि सार्वजनिक यातायात जैसे मेट्रो का विस्तार किया जाए। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है जो कि सही है। दूसरा यह कि निजी कारों का उपयोग करने के लिए हाईवे में सड़कों पर विशेष लेन बनाये जा सकते हैं, जिनमें केवल उन निजी वाहनों को छूट हो, जिनमें कम से कम तीन व्यक्ति बैठे हों। अक्सर देखा जाता है कि एक गाड़ी में एक ही व्यक्ति यात्रा करता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण अधिक होता है। अमेरिका आदि देशों में सड़कों में विशेष लेन हैं, जिनमें केवल अधिक बैठे यात्रियों की कारों को ही चलने की छूट होती है। ऐसा करने से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि तीन या चार व्यक्ति साथ में चलें, जिससे कि वे ट्रैफिक जाम से बच सकें और अपने गंतव्य स्थान पर शीघ्र पहुंच सकें।

दैहिक शोषण और व्यवसायीकरण पर रोक जरूरी

अनूप भटनागर

ऐसा लगता है कि सरकार ने किराये की कोख के व्यवसायीकरण और इसकी आड़ में महिलाओं के दैहिक शोषण पर अंकुश लगाने के अपने संकल्प से पांव पीछे खींच लिये हैं। अब सरकार ने नि:संतान दंपति को अपने नजदीकी रिश्तेदार के माध्यम से ही संतान के जन्म लेने की अनुमति देने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस निर्णय से संतान सुख की चाहत रखने वाले नि:संतान दंपतियों के लिये ऐसी महिला के चयन का दायरा बढ़ गया है जो किराये पर कोख देने के लिये तैयार हों।

इस विधेयक को संसद से मंजूरी मिलने के बाद कोई भी इच्छुक महिला कानून में प्रदत्त शर्तों का पालन करके किसी नि:संतान दंपति को अपनी कोख किराये पर दे सकती है। कोई भी विधवा या तलाकशुदा स्त्री भी इस कानून के प्रावधान के तहत अपनी कोख किराये पर दे सकेगी। ऐसी महिला के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसके लिये बीमा सुरक्षा की अवधि 16 महीने से बढ़ाकर 36 महीने करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

राज्यसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट के आलोक में सरकार ने हाल ही में 'किराये की कोख (विनियमन) विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक अब संसद में पेश किया जायेगा और इसके कानून बनने के बाद नि:संतान दंपतियों के नजदीकी रिश्तेदारों के साथ ही कोई अन्य महिला, अगर वह इच्छुक हो, अपनी कोख किराये पर दे सकती है। लेकिन किराये की कोख का लाभ सिर्फ नि:संतान भारतीय दंपति ही ले सकेंगे। यह सर्वविदित है कि पिछले करीब दो दशकों में भारत में 'फर्टीलिटी टूरिज्म' के नाम से चर्चित किराये की कोख के कारोबार में किराये की कोख की प्रक्रिया के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिये कानून बनाने का प्रयास कर रही है।

दरअसल इस समूची प्रक्रिया का तेजी से व्यवसायीकरण हुआ। नि:संतान दंपतियों की इच्छा पूरी करने वाले हजारों क्लीनिक देश के विभिन्न हिस्सों में खुल गये। पैसे के लालच में समाज के गरीब तबके की महिलाओं के शोषण की घटनायें बढ़ने लगीं। इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज के संपन्न तबके में बिन ब्याहे ही मां या पिता बनने का सुख प्राप्त करने की मानो होड़ लग गयी।

सरकार ने पहली बार नवंबर 2016 में इस बारे में लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया था। लोकसभा ने विधेयक संसद की स्थाई समिति के पास भेज दिया था, जिसने 10 अगस्त, 2017 को संसद को अपनी रिपोर्ट दी थी। यह रिपोर्ट मिलने के बाद 16वीं लोकसभा ने दिसंबर, 2018 में इस विधेयक को पारित कर दिया था लेकिन राज्यसभा से इसे पारित नहीं कराया जा सका था।

बहरहाल, 17वीं लोकसभा के गठन के बाद एक बार फिर सरकार ने इस विधेयक को संसद से पारित कराने का निर्णय लिया और संसद के शीतकालीन सत्र में पांच अगस्त, 2019 को लोकसभा ने किराये की कोख (विनियमन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया। लेकिन जब इसे राज्यसभा में पेश किया गया तो सदस्यों की मांग पर यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया गया था।

लोकसभा से पिछले साल पारित विधेयक में प्रावधान था कि कोई भी महिला जीवन में सिर्फ एक बार किसी नि:संतान दंपति की ख्वाहिश पूरी करने के लिये अपनी कोख किराये पर उपलब्ध करा सकती है। वहीं इच्छुक जोड़े के लिये जरूरी है कि वह कम से कम पांच साल से कानूनी रूप से विवाहित जीवन गुजार रहा हो और नि:संतान हो। इस विधेयक के कानून का रूप मिलने के बाद किराये की कोख की मदद से संतान सुख सिर्फ वे दंपति ही प्राप्त कर सकेंगे, जिनके मामले में चिकित्सकीय रूप से यह प्रमाणित होगा कि वे संतानोत्पत्ति करने में सक्षम नहीं हैं।

प्रवर समिति ने राज्यसभा को पांच फरवरी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में विधेयक में 15 बदलाव करने के सुझाव दिये थे। इसमें वैवाहिक जीवन में पांच साल तक असुरक्षित संसर्ग के बाद भी गर्भ धारण करने में अक्षम होने की स्थिति में किराये की कोख के विकल्प के बारे में इस अवधि को कम करने की सिफारिश की थी। प्रवर समिति की सिफारिशों के बाद सरकार ने किराये की कोख विनियमन विधेयक को फिर से मंजूरी दी है।